संख्या-13/354/12-3-2015-100(5)/08टी.सी.

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल**,**
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 11 मार्च 2015**

विषय: वित्तीय वर्ष 2014-15 में आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बुन्देलखण्ड क्षेत्र में वर्षा जल संचयन एवं सिंचाई की योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-भू.सं./लेखा/वि.स्वी./2014-15/394डी, दिनांक 20.02.2015 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-3075/12-3-2012-100(5)/2008, दिनांक 11.10.2012 एवं शासनादेश संख्या-1057/12-3-2014-100(5)/2008, दिनांक 12.5.2014 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0-39473 हजार (रू0 तीन करोड़ चौरानबे लाख तिहत्तर हजार मात्र) की धनराशि आपके निस्तारण पर रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैंड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। उक्त धनराशि लाभार्थियों का वितरित किए जा चुके िस्प्रंकलर सेट हेतु व्यय की जाएगी।

3- उक्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना तथा योजना के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-3075/12-3-2012-100(5)/08, दिनांक 11.10.2012 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि संभावित व्यय की फेजिंग, कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय, जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैंकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़वा मिलता है।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी- 1-1195/दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

6- वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-961/दस-2012-10(28)/2011, दिनांक 31 जनवरी, 2013 द्वारा वेतन/पेंशन के अतिरिक्त प्रदेश के कोषागारों में समस्त प्रकार के अन्य भुगतान (इम्प्रेस्ट आदि से संबंधित अपवादों को छोड़ते हुए) ई-पेमेंट के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था दिनांक 1.4.2013 से किये जाने का निर्णय लिया गया है। अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से सुनिश्चित किया जाय। वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-285/दस-2012-10(29)/ 2011टी.सी.-।।, दिनांक 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तद्नुसार सुनिश्चित किया जाय।

7- िस्प्रंकलर इरीगेशन सिस्टम एवं एच.डी.पी.ई. पाइप की दरों के संबंध में लघु उद्योग अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-352/18-2-2011-4(एस.पी.)/2010, दिनांक 31.3.2011 की व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय।

8- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेवसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का Impact assessment कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय। योजनान्तर्गत लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी तथा लाभार्थियों को दिये गये निवेश/उपकरणों का रेण्डम आधार पर भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जायेगा।

9- उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण-आयोजनागत-102-मृदा संरक्षण-03-बुन्देलखण्ड क्षेत्र में वर्षा जल संचयन एवं सिंचाई की योजना के अन्तर्गत मानक मद-27-सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22.7.2014 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-354(1)/12-3-2015-तद्दिनांक:-</u>

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय ,उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय ,उ0प्र0 इलाहाबाद।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- मण्डलायुक्त, झांसी, चित्रकूटधाम, विन्ध्यांचल एवं इलाहाबाद मण्डल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त की प्रतियां अपने अधीनस्थ समस्त जिलाधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि वे अपने जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों (मा. मंत्रीगण, मा. सांसद, मा. विधायक आदि) को शासनादेश की प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि जनप्रतिनिधियों द्वारा योजना का लाभ पात्रों को दिलाये जाने में सहयोग किया जा सके।

4- निजी सचिव, मा. कृषि मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।

5- अपर कृषि निदेशक भू0सं0, कृषि भवन,लखनऊ।

6- वित्त नियंत्रक कृषि भवन, लखनऊ।

7- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

8- संयुक्त कृषि निदेशक (नियोजन), कृषि भवन, लखनऊ।

9- वित्त ई-1/कृषि अनुभाग-5

10- गार्ड बुक कृषि अनुभाग-3

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in